न्यायालय : विशिष्ठ न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी	:	प्रमोद कुमार शर्मा, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)
आपराधिक विविध सं0	:	59/2026
सीआईएस नम्बर	:	151/2026

सोरन सिंह उर्फ सौरभ पुत्र मांगीलाल उम्र 33 वर्ष निवासी पुरालुहारी थाना बम्बोरी जिला गुना (मध्यप्रदेश) हाल किराये का मकान अमरलाल गुर्जर ग्राम कोटडी सुण्डा थाना सदर बारां जिला बारां (राज0)

—प्रार्थी/अभियुक्त—

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां। —अप्रार्थी/विपक्षी—

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.**
एफ0आई0आर0 नं0 54/2026, पुलिस थाना सदर बारां
जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

उपस्थित : —
1— श्री बृजमोहन गोयल, अधिवक्ता—प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2— विशिष्ठ लोक अभियोजक—राज्य की ओर से।

—:: आदेश ::— **दिनांक :— 09.03.2026**

1— प्रार्थी/अभियुक्त सोरन सिंह उर्फ सौरभ की ओर से धारा **483 बी.एन.एस.एस.** के प्रावधान के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सदर बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026 के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। जमानत प्रार्थनापत्र की नकल विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं बहस सुनी गई।

2— दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसके पास से कोई मादक पदार्थ गांजा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा जो मादक पदार्थ गांजा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद करना बताया है, उसकी मात्रा 3 किलोग्राम से कम बतायी गयी है जो कि मादक पदार्थ गांजा की लघु मात्रा की सीमा से कुछ ही अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है, जिससे कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3— दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप होने का तर्क देते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई तथा प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकोर्ड नहीं होना जाहिर किया।

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पुलिस थाना बारां सदर की ओर से प्रेषित अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि पुलिस थाना बारां सदर के थानाधिकारी द्वारा मय जाप्ता दिनांक 24.02.2026 को अवैध खनन की चैकिंग हेतु ग्राम उल्थी रोड से चोपदिया हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते से पार्वती नदी की तरफ जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति अपने हाथ में पीले रंग की पॉलीथीन का केरीबेग लटकाये जाता दिर्खाइ दिये जाने पर उसकी संदेह के आधार पर तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से कुल 2 किलोग्राम 41 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बिना वैध अनुज्ञापत्र के बरामद होना पाया जाकर उसे अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस के अंतर्गत उक्त दिनांक को गिरफतार किया गया है, तभी से प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है। प्रार्थी के कब्जे से कुल 2 किलोग्राम 41 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद होना बताया गया है जो कि मादक पदार्थ की लघु सीमा से कुछ ही अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज अथवा लंबित नहीं होने के तथ्य अभियोजन की ओर से बताये गये हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाना न्यायोचित पाता है।

5— परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सोरन सिंह उर्फ सौरभ** की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय की संतुष्टि अनुसार 25—25 हजार रूपये की दो जमानतें तथा 50 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त को नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

6— आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

RAFIK ALI

Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI